उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद – 1

संख्याःदस–51–2013 दिनांक : मई 11, 2016

सेवा में,

1. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

2. समस्त पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

विषय : आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2013 में आरक्षी पुलिस के पद भर्ती हेतु चयनित 16747 अभ्यर्थियों का जे.टी.सी. प्रशिक्षण कराये जाने तथा नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

––

आप अवगत हैं कि आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2013 के अन्तर्गत आरक्षी पुलिस के पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की कार्यवाही प्रचलित है। दूसरे चरण के शेष 16747 अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही की गई है।

2. भर्ती बोर्ड के पत्रांक पीआरपीबी–अनु0–7(विविध)58/2015 दिनांक 03.5.2016 **(छायाप्रति मय अनुलग्नक संलग्न)** द्वारा होमगार्ड क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत चयनित 88 अभ्यर्थियों का दिनांक 01.7.2013 को होमगार्ड के पद पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण न होने अथवा होमगार्ड के पद पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण इन 88 अभ्यर्थियों का भी चयन परिणाम बोर्ड द्वारा Withheld कर दिया गया है। इन 88 में से 86 अभ्यर्थियों का नाम जो दूसरे चरण के उपर्युक्त 16747 की सूची में सम्मिलित थे, हटा दिया गया है। उक्त अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में बोर्ड से अंतिम निर्णय लिये जाने की सूचना प्राप्त होने तक उनके प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जायेगी। भर्ती बोर्ड के पत्रांक पीआरपीबी : एक–1(67)/2015 दिनांक 04.5.2016 **(छायाप्रति मय अनुलग्नक संलग्न)** में अंकित अनुक्रमांक 3870781 मुकेश कुमार की जाति श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग होने तथा अनुसूचित जाति में सेलेक्शन होना पाये जाने से इनका परिणाम Withheld करते हुए बोर्ड से अंतिम निर्णय लिये जाने की सूचना प्राप्त होने तक इनके प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जायेगी। इनका नाम भी दूसरे चरण की उक्त सूची से हटा दिया गया है। इस प्रकार दूसरे चरण की सूची में से 16660 अभ्यर्थियों की सूची अपलोड की जा रही है।

3. पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा उनके परिपत्र संख्या डीजी–चार–173(32)2008 दिनांक 05.4.2016 के माध्यम से उपर्युक्त 16747 अभ्यर्थियों का **जेटीसी** प्रशिक्षण दिनांक 15.5.2016 से कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ यह निर्देश भी दिये गये है कि 16747 में से शेष बचे हुए अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय।

4. दूसरे चरण में जेटीसी के लिए उसी जनपद की पुलिस लाइन में ही बुलाया जायेगा, जहाँ से उनका चरित्र सत्यापन फार्म भरा गया है। अतः आप अपने जनपद में चरित्र सत्यापन के लिए दिये गये नामों के अनुसार श्रेष्ठताक्रम में अभ्यर्थियों का जेटीसी प्रशिक्षण कराए जाने के लिये आवश्यक प्रबन्ध कराया जाना सुनिश्चित कर लें।

5. वर्तमान में जनपदों में आरक्षी पद के लिए दौड़ परीक्षा भी करायी जा रही है। अतः दिनांक 15.5.2016 से प्रारम्भ होने वाले जेटीसी प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को जनपद की जेटीसी/पुलिस लाइन में श्रेष्ठताक्रम में प्रतिदिन इस प्रकार बुलाया जाय जिससे जेटीसी/पुलिस लाइन में एक ही दिन अनावश्यक भीड़ न हो तथा दौड़ परीक्षा भी प्रभावित न हो। प्रशिक्षण हेतु आने वाले अभ्यर्थी अपने जनपद की सुविधानुसार 50 से 100 की संख्या में ही बुलाये जाये। इस प्रकार जनपद हेतु समस्त उपयुक्त अभ्यर्थियों के आगमन के उपरान्त उनका जेटीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ कराया जाय।

6. चरित्र सत्यापन की कार्यवाही में सभी प्रकार से उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों के जेटीसी प्रशिक्षण हेतु सूची के अनुसार श्रेष्ठताक्रम में आमद करने के साथ यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अभ्यर्थीगण प्रतिदिन प्रशिक्षण हेतु प्रातः पुलिस लाइन आयेगें और सायं अपने घरों को वापस भेज दिये जायेगें। प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार रखा जाय कि रिक्रूट आरक्षीगण सुगमता से पुलिस लाइन आकर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेकर समय से अपने–अपने घर वापस चले जाये।

7. अन्य प्रान्तों के अभ्यर्थियों की पुलिस लाइन में आमद पर उनके आरटीसी/पुलिस लाइन में ठहरने व भोजन आदि की समुचित व्यवस्था की जाय।

8. जेटीसी प्रशिक्षण हेतु आमद करने वाले सभी अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ–पत्र लिया जायेगा कि यदि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के स्तर से आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2013 के घोषित चयन परिणाम के विरूद्व कोई निर्णय दिया जाता है, जिससे कुछ अभ्यर्थियों की सेवा परिवर्तित हो सकती है तथा कुछ अभ्यर्थी चयन परिणाम से बाहर भी हो सकते है, तो उन अभ्यर्थियों को ऐसे निर्णय से होने वाले परिवर्तन स्वीकार होगें और उन्हें इसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होगी। **अभ्यर्थियों से भराये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप संलग्न है।**

9. अभ्यर्थियों की चरित्र सत्यापन पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी के फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाय तथा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाय तो उस अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में नहीं की जाय तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को सूचित करते हुए दिशा–निर्देश प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही की जाय।

10. अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों तथा ओएमआर/आवेदन पत्र की सूचना के मिलान एवं चरित्र सत्यापन से उपयुक्त अभ्यर्थियों का जेटीसी में आगमन सुनिश्चित कराकर प्रतिसार निरीक्षक को हिन्दी

आदेश पुस्तिका में अंकन करने एवं रिक्रूट आरक्षी की भर्ती एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सभी कार्य समय से पूर्ण कराने, जेटीसी कराने एवं किट प्रदान करने हेतु संबंधित को निर्देश निर्गत करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किये जाने हेतु **बुलावा पत्र तथा आरक्षी पुलिस के पद पर नियुक्ति का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है**। उपरोक्त सभी कार्यवाही से सम्बन्धित समस्त पत्रों/प्रपत्रों की प्रतियॉ अभ्यर्थी की मूल पत्रावली पर अवश्य रखवा दी जायं।

11. बुलावा–पत्र में अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूलप्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटों लेकर जायेगें तथा इन्हें जेटीसी प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के दिनांक से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका चयन/अभ्यर्थन संगत नियमों के अन्तर्गत निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए इस मुख्यालय को भी अवगत करायें।

12. अभ्यर्थीगण अपने साथ उ0प्र0पुलिस की बेवसाइट **http://uppolice.gov.in** पर इस सम्बन्ध में दिये गये परिशिष्ट 'ख' (1) एवं परिशिष्ट 'ख' (2) में क्रमशः रूपया 32/– एवं 42/– के नान–जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र अंकित कराकर तथा नोटरी से उन शपथ–पत्रों को सत्यापित कराकर अपने साथ लाकर प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत करेगें। प्रशिक्षण संस्थान प्रमुख इन शपथ–पत्रों को भी अभ्यर्थी की चरित्र सत्यापन पत्रावली पर रखवाना सुनिश्चित करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध कराये गये निर्देश उ0प्र0पुलिस की बेवसाइट **http://uppolice.gov.in** पर उपलब्ध हैं। इस बेवसाइट से आप सम्बन्धित निर्देश डाउनलोड कर तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें। प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण–रूपेण अनुपालन किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

13. प्रशिक्षण संस्थान प्रमुख कृपया प्रशिक्षण हेतु आगमन करने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रारूप में सूचना पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें :–

क्र. स	अभ्यर्थी का		पिता का नाम	गृह जनपद	चरित्र सत्यापन का जनपद	प्रशिक्षण संस्थान में आगमन की तिथि
	अनुक्रमांक	नाम				
1	2	3	4	5	6	7

14. उक्त प्रशिक्षण एवं उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

15. पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में उपरोक्तानुसार जेटीसी प्रशिक्षण सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

16. विगत में यह देखा गया है कि जनपद/प्रशिक्षण संस्थान में जे.टी.सी. के दौरान रंगरूटों को किट प्रदान किये जाने, उनकी वर्दी सिलवाने, अंशदायी पेंशन योजना के अनुसार **PRAN No.** आवंटित कराने और उनकी पास–बुक तैयार कराने की कार्यवाही अपेक्षित थी जो बहुत से जनपदों द्वारा नहीं की गई है। अतः यह सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त सभी कार्यवाही समय से पूर्ण कर ली गयी हैं।

संलग्नकः–

(1) रूपया 10/– के नॉन–जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर लिए जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप।
(2) बुलावा–पत्र का प्रारूप।
(3) आरक्षी पुलिस के पद पर नियुक्ति का प्रारूप।
(3) परिशिष्ट 'ख' (1) व परिशिष्ट 'ख' (2) (नॉन–जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र हेतु)।
(4) भर्ती बोड के पत्र दिनांकित 03.5.2016 व 04.5.2016 की अनुलग्नक सहित प्रतियॉ।

11/5

पुलिस उपमहानिरीक्षक–स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर सचिव, भर्ती, उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
3. पुलिस महानिरीक्षक–स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन/समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
5. पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0पुलिस तकनीकी सेवायें लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त परिपत्र मय संलग्नक पुलिस की बेवसाइट **http://uppolice.gov.in** पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

रू0 10/– के नॉन–जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर लिए जाने वाले

शपथ पत्र का प्रारूप

नाम .... अनुक्रमांक (आरक्षी भर्ती 2013 का) .... जन्म–तिथि .... पुत्र श्री.................................... निवासी.............................. थाना.............................. जनपद.................. का शपथ पत्र।

मैं ....उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ :–

(1) यह कि उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग की आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती, 2013 में आरक्षी पुलिस के पद पर प्रशिक्षण के लिए मेरा चयन हुआ है जिसके लिए मुझे बुलावा पत्र भेजा गया है।

(2) यह कि चरित्र सत्यापन वाले जनपद ....द्वारा मुझे भेजे गये बुलावा पत्र में किये गये उल्लेख **"उक्त प्रशिक्षण (आरक्षी पुलिस पद का बेसिक प्रशिक्षण) एवं उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया (आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती, 2013) के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगा"** को मैंने ठीक से पढ़ा है जिसकी मुझे भली–भॉति जानकारी है।

(3) मैं यह भली–भॉति जानता हूँ कि यदि मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के स्तर से **आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती, 2013 के** घोषित चयन परिणाम के विरूद्ध कोई भी निर्णय दिया जा सकता है जिससे कुछ अभ्यर्थियों की सर्विस(सेवा) परिवर्तित हो सकती है तथा मेरिट लिस्ट के कुछ अभ्यर्थी चयन परिणाम से बाहर भी हो सकते हैं। मा0 न्यायालय के ऐसे निर्णय से यदि आरक्षी पुलिस के पद से मेरी सेवा आरक्षी पीएसी या फायरमैन के पद हेतु परिवर्तित होती है अथवा मेरा नाम चयन परिणाम से बाहर हो जाता है तो तदनुसार की गयी कार्यवाही मुझे स्वीकार होगी और उसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

शपथकर्ता का निशान अंगूठा

शपथकर्ता

मै.......................................उपर्युक्त अभिसाक्षी, शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूँ कि इस पत्र के प्रस्तर ....में उल्लिखित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास में सत्य एवं सही हैं, इस शपथ पत्र के प्रस्तर ....में उल्लिखित तथ्य सूचनाओं पर आधारित है और जिन्हें मै विश्वास करता हूँ कि वे भी सत्य हैं, इसका कोई अंश असत्य अथवा झूठा नहीं है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। अस्तु ईश्वर मेरी रक्षा करे।

अभिसाक्षी

आज दिनांक–.........................को ....पूर्वान्ह/अपरान्ह में सिविल कोर्ट जिला प्रांगण में अभिसाक्षी द्वारा सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी/शपथकर्ता

<u>बुलावा–पत्र</u>

कार्यालय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जनपद .... ।

संख्या : दिनांक : मई , 2016

सेवा में,

(अभ्यर्थी का नाम व पता लिखा जाय)।

विषय : प्रशिक्षण सत्र 2015–2016 में आरक्षी पुलिस के पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों का आरक्षी पुलिस पद का बेसिक प्रशिक्षण हेतु आवंटित जनपद/प्रशिक्षण संस्थान(जेटीसी) में उपस्थित होने के सम्बन्ध में।

–––

उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा पत्र संख्या पीआरपीबी : अनु–6–प–06/2015 (पार्ट ।।) दिनांक 17.9.2015 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की उपलब्ध कराई गई सूची में से द्वितीय चरण के 16747 का चरित्र सत्यापन कराया गया है। चरित्र सत्यापन में उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप आप आरक्षी पुलिस पद के बेसिक प्रशिक्षण हेतु जनपद/प्रशिक्षण संस्थान ....में दिनांक .... को विलम्बवत् अपरान्ह 4.00 बजे तक अपने आगमन की सूचना दे दें।

2. आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आयेगें तथा इन्हें जनपद/प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के दिनांक से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन संगत नियमों के अन्तर्गत निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की बेवसाइट पर इस संबंध में दिये गये रू0 10/– के नान–जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र तथा प्रारूप–1 एवं प्रारूप–2 में कमशः रू0 32/– एवं रू0 42/– के नान–जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र अपने साथ लेकर जनपद/प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा जारी निर्देश उ0प्र0 पुलिस की बेवसाइट **http://uppolice.gov.in** पर उपलब्ध हैं। इस बेवसाइट से आप सम्बन्धित निर्देश डाउनलोड कर तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करें।

3. प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4. उक्त प्रशिक्षण एवं उनके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,

जनपद....................................... ।

आरक्षी पुलिस के पद पर नियुक्ति का प्रारूप

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008 (यथासंशोधित) के नियम–18 के प्रावधानों के अनुसार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अधियाचित रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी सीधी भर्ती–2013 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी.......................................अनुक्रमांक.................................. पुत्र श्री... निवासी ग्राम.. पोस्ट.................................. .थाना...................................तहसील............................. .जिला................................ (पिन कोड नं0......................) को उपर्युक्त नियमावली के अधीन रिक्रूट आरक्षी के पद पर अस्थायी रूप से जनपद.................................... में नियुक्ति प्रदान की जाती है। इन्हें नियमानुसार अनुमन्य पे–बैण्ड रू0 5,200–20,200 एवं ग्रेड पे 2,000/– के अनुसार प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जायेगा। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी जो कभी भी समाप्त की जा सकती है।

2. यह नियुक्ति चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगी।

3. प्रतिसार निरीक्षक उक्त अभ्यर्थी को पूर्ण किट प्रदान कर जनपद में ही रखकर प्रारम्भिक प्रशिक्षण (जेटीसी) कराना सुनिश्चित करें।

(नियुक्तिकर्ता अधिकारी का नाम)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद..।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद................................।

संख्या : दिनांक मई , 2016

प्रतिलिपि :–

प्रतिसार निरीक्षक को हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन करने तथा उक्त रिक्रूट आरक्षी को भर्ती एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सभी कार्य समय से पूर्ण कराने, जेटीसी कराने तथा किट प्रदान किये जाने हेतु।

2. आंकिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. अभ्यर्थी श्री .... पुत्र श्री .... निवासी ग्राम .... पोस्ट .... थाना .... तहसील .... जिला .... (पिन कोड नं0......................................) को अनुपालनार्थ।

(नियुक्तिकर्ता अधिकारी का नाम)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद..।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. पुलिस महानिरीक्षक–प्रशिक्षण, उ0प्र0पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, ... जोन ....।
3. पुलिस उप महानिरीक्षक .... परिक्षेत्र, ...।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक–स्थापना उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को उनके परिपत्र संख्या दस–51–2013 दिनांक : .... के संदर्भ में।

परिशिष्ट "ख" (1)

प्रशिक्षण संस्थान में खेल, साज–सज्जा तथा अन्य व्ययों तथा नियमानुसार अनुमन्य वेतन प्रशिक्षण काल में दिया जाएगा, के सम्बन्ध में अभ्यर्थी (रिक्रूट) के माता पिता, संरक्षक या मित्र (प्रतिभू) के हस्ताक्षर हेतु बन्ध पत्र।

प्रतिभू चूँकि मैं...आत्मज श्री.. जिला........................ का निवासी हूँ और चूँकि पुलिस सेवा हेतु प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ जे0टी0सी0... में सम्मिलित होने के लिये उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हेतु श्री.......................................आत्मज श्री .... निवासी...को चयनित किया गया है और उसने सरकार की सेवा को वरण किया है। अतएव यह बन्ध–पत्र दिनॉक.................................जो उक्त.................. ....के निमित्त प्रतिभू...प्रथम पक्ष तथा राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वितीय पक्ष के मध्य में निस्पादित हुआ है। इस बात का साक्षी है कि उक्त............के उक्त संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के प्रतिफलस्वरुप उक्त..इस बन्ध के दिनांक से उक्त संस्थान में परिश्रम पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए तब तक रहेगी जब तक पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 या उक्त संस्थान के प्रमुख उसे अपना प्रशिक्षण छोडने की अनुमति न प्रदान करें, और वह उक्त संस्थान से सम्बन्धित अभ्यर्थियों (रिक्रूट्स) के लिये निर्धारित नियमों का सच्चे हृदय से पालन करेगा। उक्त........................ .... का उक्त अवस्था कि उक्त ....अभ्यर्थी (रिक्रूट)

1– उक्त प्रशिक्षण में असफल रहे अथवा आरक्षी रिक्रूट की परीक्षा पास न करे ।

2– प्रशिक्षण से त्याग पत्र दें।

3– दुर्घटना ग्रस्त होने पर उक्त प्रशिक्षण अथवा सेवा से हटा दिया जाय।

4– उक्त संस्थान से सम्बन्धित अभ्यर्थियों (रिक्रूट्स) के लिये निर्धारित नियमों का पालन न करें अथवा इन नियमों के अधीन उक्त संस्थान से बहिस्कृत अथवा पृथक किया जाय।

5– प्रशिक्षण के पश्चात 01 वर्ष के अन्दर ही नौकरी से त्याग पत्र दे दें।

6– साज सज्जा की पूर्ण धनराशि वसूल किये जाने के पूर्व वह त्याग पत्र दे दें।

7– उक्त संस्थान के प्रमुख द्वारा उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के सन्तोषजनक न पाये जाने पर कालेज से बहिष्कृत या पृथक किये जाय तो ऊपर लिखित किसी भी दशा में उक्त रिक्रूट उत्तर प्रदेश शासन को निम्नलिखित के अनुसार धनराशि देने के लिये वचनबद्ध है:–

   1– वह सब धनराशि जो साज सज्जा वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में उससे देय पायी जावें।

   2– वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसे नियमानुसार अनुमन्य वेतन के रूप में दी जाय।

   3– वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन ने उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने में व्यय की हो।

   4– और उत्तर प्रदेश शासन को अधिकार होगा कि उक्त धनराशि रिक्रूट अथवा उसके प्रतिभू से उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव प्रमाण–पत्र पर जो उक्त रिक्रूट पर बाध्यकर एवं अन्तिम होगा माल गुजारी की भॉति वसूल होगा।

साक्षी

1– ....

2– ....

हस्ताक्षर...................................

दिनॉक..

स्थान..

परिशिष्ट ''ख'' (2)

प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थी (कैडेट) के हस्ताक्षर कराने के लिए बन्ध पत्र

मैं ....आत्मज श्री ....जिला.......................................का निवासी हूँ। ....स्थित प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वर्ष................में चुना गया हूँ। (जिसे आगे रिकूट आरक्षी कहा गया है)

उक्त रिकूट राज्यपाल उत्तर प्रदेश के साथ प्रसंविदा करता है कि उक्त संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करते समय उक्त संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा समय–समय पर जो भी साज–सज्जा उसे मिलेगी और जिसके निमित्त वह कोई धनराशि न दे, और जिसके मूल्य के सम्बन्ध में उसे यथा समय सूचना दी जाय, उसका वह उस अवस्था में जबकि वह सफल हो जाये और किसी जिले में नियुक्त हो जाये सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान 12 मासिक किस्तों में कर देगा और इनके निमित्त वह एकाउन्टेन्ट को एतद्द्वारा प्राधिकृत करता है कि वह इस धनराशि को उसके उस वेतन से काट लिया जाए, वह जिस जिले में सेवा प्रारम्भ करें।

उक्त रिकूट को त्याग पत्र देने, प्रशिक्षण बन्द कर देने या पदच्युत किए जाने पर यह विकल्प होगा कि वह या तो उन वस्त्रों और अन्य वस्तुओं को जिन्हें उक्त संस्थान के प्रमुख ने उसे संस्थान में प्रवेश करने के समय दिये हों अथवा जो बाद में कॉटेज स्टोर से मिले हों, अपने पास रखे या वह उन्हें ऐसे मूल्य पर, जिसे उक्त संस्थान प्रमुख निश्चित करें, संस्थान प्रमुख के हाथ बेच सकता है।

उक्त रिकूट राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश से यह भी प्रसंविदा करता है कि यदि वह :–

1– उक्त प्रशिक्षण में असफल रहे अथवा कि विहित प्रशिक्षण की परीक्षा पास न करे।

2– प्रशिक्षण से त्याग पत्र दे दें।

3– दुर्घटना ग्रस्त होने पर उक्त प्रशिक्षण अथवा सेवा से हटा दिया जाय।

4– प्रशिक्षण काल में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अथवा उक्त संस्थान के प्रमुख की बिना पूर्व अनुमति के उक्त संस्थान छोडकर चला जाय या प्रशिक्षण बन्द कर दे।

5– उक्त संस्थान से संबंधित अभ्यर्थियों(रिकूट) के लिये निर्धारित नियमों का पालन न करें, अथवा इन नियमों के अधीन उक्त संस्थान से बहिस्कृत अथवा पृथक किया जाय।

6– प्रशिक्षण के पश्चात एक वर्ष के अन्दर ही नौकरी से त्याग–पत्र दे दें।

7– साज–सज्जा की पूर्ण धनराशि वसूल किए जाने के पूर्व वह त्याग पत्र दे दें।

8– उक्त संस्थान के प्रमुख द्वारा उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संतोषजनक न पाये जाने पर संस्थान से वहिष्कृत या पृथक किया जाय तो ऊपर लिखित किसी भी दशा में उक्त रिकूट उत्तर प्रदेश शासन को निम्नलिखित के अनुसार धनराशि देने के लिये वचनवद्ध है :–

    1– वह सब धनराशि जो साज–सज्जा वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में उससे देय पायी जाय।

    2– वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसे नियमानुसार अनुमन्य वेतन के रूप में दी जावे।

    3– वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन ने उसे उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने में व्यय की हो और उत्तर प्रदेश शासन को अधिकार होगा कि उक्त धनराशि उक्त रिकूट अथवा उसके प्रतिभू से उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव के प्रमाण पत्र पर जो उक्त रिकूट पर बाध्यकर एवं अन्तिम होगा। मालगुजारी की भॉति वसूल होगा।

साक्षी

1– .... हस्ताक्षर.......................................

2– .... दिनॉक..

स्थान....................,.......................................

अति आवश्यक

उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, 19-सी, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001
दूरभाष/फैक्स: 0522-2235752 फैक्स- 0522-2235806
Web-www.uppbpb.gov.in

संख्याःपीआरपीबी–अनु0–7(विविध) 58/2015 दिनांक:अप्रैल 03 ,2016

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

कृपया बोर्ड के पत्र संख्याःपीआरपीबीःअनु–6–प–06/2015 दिनांक 16–07–2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की सूची अलग–अलग संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है ।

2– उपरोक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत होमगार्ड क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी सुरेन्द्र कुमार, अनुक्रमांक–3276127 का परिणाम withheld किये जाने हेतु बोर्ड के समसंख्यक पत्र दिनांकित 10–02–2016 के द्वारा सूचित किया गया था। उक्त कम में होमगार्ड क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत चयनित 88 अभ्यर्थियों का दिनांक 01–07–2013 को होमगार्ड के पद पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण न होने अथवा होमगार्ड के पद पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण इन 88 अभ्यर्थियों का भी चयन परिणाम बोर्ड द्वारा withheld कर दिया गया है ।

3– अतः उक्त सन्दर्भ में होमगार्ड क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत चयनित 88 अभ्यर्थियों की सूची इस आशय से संलग्नकर प्रेषित है कि कृपया उक्त अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में बोर्ड से अन्तिम निर्णय लिये जाने की सूचना प्राप्त होने तक प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही न किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

सदस्य सचिव,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ ।

प्रतिलिपिः–पुलिस उपमहानिरीक्षक (स्थापना), उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2013 के ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जिनका चयन होमगार्ड क्षैतिज आरक्षण के तहत किया गया था, परन्तु वर्तमान में जिनका परीणाम Withhold किया जाना है ।

S.NO	CAND ROLL NUMBER	Candidate_Name	Fat_Hus_Name	Gender	Category	Rewarded Category	Horizontal Reservation	Post
1	2261930	AKHILESH SINGH	HRIDAYESH SINGH	MALE	GEN	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
2	2037185	ZEESHAN ALI	KASIM ALI	MALE	GEN	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
3	1399516	RAM VEER SHARMA	SUKH DEV SHARMA	MALE	GEN	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
4	1871541	ANUJ SINGH CHANDEL	BALVIR SINGH	MALE	GEN	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
5	3032243	ASHISH KUMAR	RAJENDRA PRASAD	MALE	GEN	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
6	3753682	AJAY PRATAP SINGH	NARENDRA SINGH	MALE	GEN	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
7	2116688	ADITYA KUMAR	VISHNUDATTA MISRA	MALE	GEN	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
8	3829542	SHUBHAM KUMAR PANDEY	BINDESHWARI SHARAN	MALE	GEN	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
9	3482201	KRISHN GOPAL MISHRA	DHUW PRAKASH MISHRA	MALE	GEN	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
10	3882676	MANOJ KUMAR PANDEY	LAL CHANDRA PANDEY	MALE	GEN	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
11	1187509	DHANESH KUMAR MISHRA	RAM BALI MISHRA	MALE	GEN	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
12	1857989	NAGENDRA PRATAP SINGH	VISHWANATH SINGH	MALE	GEN	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
13	3808153	ASHUTOSHKUMARSINGH	OMKARNATHSINGH	MALE	GEN	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
14	1707915	DHARMPAL SINGH	RAMPAL SINGH	MALE	GEN	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
15	1708050	RAJPRATAP SINGH	VINOD SINGH SENGAR	MALE	GEN	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
16	2168849	RAJ BAHADUR SINGH	BALAWANT SINGH	MALE	GEN	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
17	3887825	RUBI DEVI	OMBIR SINGH	FEMALE	GEN	UnReserved	HGUARD AND FEMALE	Constable Civil Police
18	1339669	DEVU BAROI	DEEPAK BAROI	MALE	GEN	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
19	1503841	DEEPAK KUMAR SHUKLA	RAM MURAT SHUKLA	MALE	GEN	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
20	1488647	SONE LAL PATEL	JAY RAM VERMA	MALE	GEN	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
21	1854236	RAJAT MISHRA	RAJESH KUMAR MISHRA	MALE	GEN	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
22	3362383	PRAJHAM SINGH	OM PRAKASH	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
23	3835565	DEVENDRA SINGH	RAM PRASAD SINGH	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
24	1800813	HARI NAM SINGH	SHIV BHAJAN SINGH	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
25	3715159	ROHIT YADAV	KRISHNA KUMAR YADAV	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
26	3164169	ARVIND SINGH	SHISHUPAL SINGH	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
27	3850357	AJAB SINGH	DASHARATH SINGH	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
28	3037587	JITENDRA SINGH	RAJAN SINGH	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
29	1312989	AYODHYA PRASAD	SHARADA PRASAD	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
30	3147802	VIVEK KUMAR SINGH	RAMHIT	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
31	1312833	MUKESH KUMAR	NANAKOO RAM PAL	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
32	3276127	SURENDRA KUMAR SINGH	RAJ MANI SINGH	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
33	1456939	AWADH BIHARI SAINI	RAMKEVAL SAINI	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
34	2176703	VINOD KUSHVAHA	RAJENDRA KUSHVAHA	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
35	3812123	NILESH KUMAR YADAV	RAM KEDAR YADAV	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
36	3479306	PRAVESH KUMAR MAURYA	SHYAM LAL	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
37	3891029	DINESH KUMAR	RAJ KUMAR	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
38	3965403	RADHE SHYAM YADAV	DUKHI RAM	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
39	3584255	RAJESH KUMAR	BHARAT LAL	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
40	3619639	VIJAY KUMAR YADAV	JAWAHAR LAL YADAV	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
41	3416775	DHARMENDRA KUMAR	ATAR SINGH	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
42	1654005	YATENDRA SINGH	OM PRAKASH SINGH	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
43	1645462	LOKESH KUMAR CHAUDHARY	SHIV SINGH	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
44	3232848	SANJAY KUMAR	BHAGWAN SINGH	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
45	2125242	BHUPENDRA KUMAR	SHIVA KUMAR	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
46	1894602	AKHILESH KUMAR	SHIV RATAN SINGH	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
47	3906758	NASEEM AHMAD	SAMI ULLA	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
48	3221878	JITENDRA KUMAR SHARMA	YOGENDRA SHARMA	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
49	3339938	DEVENDRA SINGH	MAHENDRA SINGH	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
50	3819518	BASANT KUMAR YADAV	RAMBRIKSHA	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
51	3216377	BRIND KUMAR CHAUDHARI	BHULAI	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
52	1913510	MURARI GUPTA	BASDEO GUPTA	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
53	2208189	JITENDRA KUMAR	HAKIM SINGH	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police

(रविन्द्र कुमार)
सहायक उ0नि0 (एम)

S.NO	CAND ROLL NUMBER	Candidate_Name	Fat_Hus_Name	Gender	Cate gory	Rewarded Category	Horizontal Reservatio n	Post
54	3472450	ANIL KUMAR RAIKWAR	MANNU LAL	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
55	2193536	KUNTI RANI	SANTOSH KUMAR	FEMALE	OBC	UnReserved	HGUARD AND FEMALE	Constable Civil Police
56	3183463	RAJU YADAV	ANGAD YADAV	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
57	1276934	ANURAG VERMA	ANIL KUMAR VERMA	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
58	1601681	DEEPAK KUMAR GUPTA	RAMPRATAP GUPTA	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
59	1712442	URMESH SHRIVASTAV	RAMESHCHANDER SHRIVASTAV	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
60	1713490	RAGHVENDRA SINGH	KALYAN SINGH	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
61	1689275	BRIJESH KUMAR YADAV	RADHE SHYAM YADAV	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
62	1128653	GAJENDRA SINGH	RAMJI LAL	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
63	3408662	BINAMIKA DEVI	RAJKISHOR	FEMALE	OBC	UnReserved	HGUARD AND FEMALE	Constable Civil Police
64	1131494	NARESH KUMAR	NETRAPAL SINGH	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
65	1863430	ZAVED AHAMAD	MAQSOOD AHAMAD	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
66	3430286	ARUN KUMAR	BALRAM YADAV	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
67	3244129	JITENDRA KUMAR	RAM CHANDRA	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
68	1861750	KULDEEP KUMAR	RAM KHELAWAN	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
69	1865745	PRAKASH YADAV	RAM UGRAH	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
70	1599344	GORAKH NATH YADAV	SHANKAR YADAV	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
71	3323290	ARVIND KUMAR YADAV	RAM GOVIND YADAV	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
72	2144676	RAM SHANKAR MAURYA	RAM KHELAWAN	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
73	1223696	PRAVEEN KUMAR	NANGA	MALE	SC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
74	2216776	SATYA PAL	DEVI RAM	MALE	SC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
75	3211945	RADHE SHYAM	RAM KISHOR	MALE	SC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
76	3908790	SUMIT NARAYAN	SUBEDAR	MALE	SC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
77	1962155	SATYENDRA KUMAR SONKAR	MITHU PRASAD SONKAR	MALE	SC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
78	3680879	ABHIMANYU	RAM SAMUJH	MALE	SC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
79	1917702	GANGA RAM	SANT RAM	MALE	SC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
80	3472449	DHARMENDRA KUMAR	RAJARAM	MALE	SC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
81	1972358	GULSHAN KUMAR	SOHANLAL	MALE	SC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
82	1465052	ATENDRA KUMAR	RAM SHANKAR	MALE	SC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
83	3497415	AJAI PRAKASH	ISHWARI LAL	MALE	SC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
84	1907858	RIPUDAMAN	DAYARAM	MALE	SC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
85	3514029	MIRA	PRITHI PAL PRASAD	FEMALE	SC	UnReserved	HGUARD AND FEMALE	Constable Civil Police
86	1814526	DEEPAK KUMAR	LALLAN PRASAD	MALE	SC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
87	2108591	ARJUN PRASAD	RAM LAUTAN	MALE	SC	UnReserved	HGUARD	Constable Civil Police
88	1891623	SARVESH KUMAR	MANGU LAL	MALE	OBC	UnReserved	HGUARD	Constable PAC

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक उ०नि० (एम)

दिनेश कुमार राय
पुलिस उपाधीक्षक

4155
07/5/16

① SONVKK

इन्वाइस से प्राप्त डाक

कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना) 07 MAY 2016

अति आवश्यक/द्वारा फैक्स

उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, 19-सी, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001
दूरभाष/फैक्स: 0522-2235752 फैक्स- 0522-2235806
Web-www.uppbpb.gov.in

संख्या:पीआरपीबी:एक–1(67)/2015 — दिनांक:मई 04 ,2016

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

कृपया बोर्ड के पत्र संख्या:पीआरपीबी:अनु–6–प्र–06/2015 दिनांक 16–07–2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की सूची अलग–अलग संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है ।

2– उपरोक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त भर्ती प्रकिया के अन्तर्गत चयनित 04 अभ्यर्थी मुकेश कुमार–अनुक्रमांक–3870781, प्रशान्त सिंह–अनुक्रमांक–3850512, देशराज–अनुक्रमांक–3504991 व बृजेश कुमार सिंह कुशवाहा–अनुक्रमांक–3130744 के चिकित्सा परीक्षण प्रपत्र अभ्यर्थियों को आवंटित जनपदों द्वारा मांगे गये थे। आवंटित जनपदों को अभिलेखों की छायाप्रतियां उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत इन तीनों अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा व चिकित्सा परीक्षा की पत्रावलियों के अवलोकन से पाया गया कि इनके चिकित्सा परीक्षण परिणाम में निम्नांकित कमियां हैं:–

क0 सं0	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	आवंटित जनपद	विवरण
1	3870781	मुकेश कुमार	फतेहगढ़	जनपद फतेहगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि अभ्यर्थी ने वेरीफिकेशन के समय जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए अपने को ओबीसी जाति गड़रिया का होना बताया गया है, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा भरे गये आवेदन पत्र के अवलोकन से अनुसूचित जाति में सेलेक्शन होना पाया गया। अभ्यर्थी की डी0वी0 की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि उसकी पत्रावली पर अन्य पिछड़ा वर्ग का दिनांक 09–07–2009 का जाति प्रमाण पत्र लगा है। किन्तु संवीक्षा दल द्वारा अभ्यर्थी की श्रेणी अनुसूचित जाति मानी गयी है। अभ्यर्थी के जनपदीय चिकित्सा परीक्षण प्रपत्र पर श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग है।

SNO 25758 IInd Batch
SO-X
D. 1326

पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद 07/5/16

2	3850512 PAC	प्रशान्त सिंह	सीतापुर	अभ्यर्थी की श्रेणी सामान्य है। अभ्यर्थी जनपदीय चिकित्सा परीक्षण में ऊंचाई 167 से0मी0 पाये जाने के कारण असफल था। मण्डलीय चिकित्सा परीक्षण में अभ्यर्थी सफल है, किन्तु मण्डलीय चिकित्सा परीक्षण में अभ्यर्थी की ऊंचाई अंकित नहीं है। केवल नार्मल हाईट लिखते हुए अभ्यर्थी को उपयुक्त माना गया है।
3	3504991 SNO-	देशराज 1070	इलाहाबाद 1st Batch	अभ्यर्थी की श्रेणी अनुसूचित जाति है। अभ्यर्थी जनपदीय चिकित्सा परीक्षण में सफल है, किन्तु जनपदीय चिकित्सा प्रपत्र पर उसकी ऊंचाई 166 से0मी0 अंकित है।
4	3130744 SNO-	बृजेश कुमार सिंह कुशवाहा 14224	गोरखपुर 1st Batch	अभ्यर्थी की श्रेणी अ0पि0व0है। अभ्यर्थी जनपदीय चिकित्सा परीक्षण में सफल है, किन्तु जनपदीय चिकित्सा प्रपत्र पर उसकी ऊंचाई 166.2 से0मी0 अंकित है।

3— उल्लेखनीय है कि उक्त चारों अभ्यर्थियों की उपरोक्त कमियों के दृष्टिगत इनका परिणाम withheld करते हुए क्रमांक—02 से 04 पर अंकित अभ्यर्थियों का मण्डलीय चिकित्सा परिषद से पुनः चिकित्सा परीक्षण कराये जाने का निर्णय लिया गया है ।

4— अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि अभ्यर्थी मुकेश कुमार—अनुक्रमांक—3870781, प्रशान्त सिंह—अनुक्रमांक—3850512, देशराज—अनुक्रमांक—3504991 व बृजेश कुमार सिंह कुशवाहा—अनुक्रमांक—3130744 के सम्बन्ध में बोर्ड से अन्तिम निर्णय लिये जाने की सूचना प्राप्त होने तक इनके प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही न किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

4/5/16

सदस्य सचिव,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ ।

प्रतिलिपिः—पुलिस उपमहानिरीक्षक (स्थापना), उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।